

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 403 / 2010  
संस्थान दिनांक 23.09.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. भैवरसिंह पिता मांगीलाल राजपूत, आयु 50 वर्ष
2. दादूसिंह उर्फ विरेन्द्रसिंह पिता बालुसिंह, आयु 42 वर्ष  
दोनों निवासी-अंजड़, तहसील अंजड़,  
जिला- बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 197 / 2010 अंतर्गत 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 23.09.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त भैवरसिंह एवं दादूसिंह उर्फ विरेन्द्रसिंह के विरुद्ध दिनांक 15.09.2010 को समय दोपहर 3:45 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा से अंजड़ के मध्य जैन बस में जो कि लोक परिवहन का साधन है, यात्रा करते समय फरियादी लक्ष्मीबाई, बबीताबाई तथा राकेश को अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित करने, फरियादी लक्ष्मीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने, फरियादी लक्ष्मीबाई और राकेश के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी लक्ष्मीबाई को दाँत तोड़ने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 294, 354, 323, 506 भाग-1 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में फरियादी लक्ष्मीबाई ढेड़ वर्ष पूर्व बस में बैठकर ग्राम मण्डवाड़ा से बड़वानी जा रही थी। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण की फरियादिया लक्ष्मीबाई ने अभियुक्तों से भादस की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के अपराधों के लिए राजीनामा किया है तथा भादस की धारा 354 तथा आहत राकेश पाटीदार के विरुद्ध किये गये भादस की धारा 323 के अपराध के लिए अभियुक्तों का निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी लक्ष्मीबाई ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें दिनांक 15.09.2010 को फरियादी लक्ष्मीबाई, निवासी बड़वानी ठीकरी से जैन बस में बैठकर बड़वानी जा रही थी, फरियादी लक्ष्मीबाई के साथ रजिया, श्रीमती बबीता वर्मा भी थी। वह सभी बस में आगे की ओर लम्बी सीट पर बैठे थे। ग्राम मण्डवाड़ा मदिरा दुकान के पास से दो व्यक्ति जिनका नाम भँवरसिंह एवं उसका साथी बस में बैठे थे तथा फरियादी व अन्य महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। फरियादी का हाथ पकड़कर मारपीट की तथा बस में बैठे सभी पुरुष एवं महिलाओं के सामने फरियादी लक्ष्मीबाई को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी तथा अभियुक्तगण रजिया के ऊपर बार-बार गिरने की कोशिश कर रहे थे व फरियादी को अभियुक्तगण ने दाँत तोड़ देने की धमकी भी दी थी तथा फरियादी को दो घुसे पीठ पर भी मारे थे व बाल भी खींचे तथा अभियुक्तों ने बस के परिचालक के साथ भी मारपीट की थी। अभियुक्तगण हनुमान मोहल्ला, अंजड़ में उतरकर भाग गये थे। पुलिस ने फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रदर्शपी 1 के दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197/2010 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी की निशांदाही परघटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 354, 323, भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 15.09.2010 को समय दोपहर 3:45 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा से अंजड़ के मध्य जैन बस में जो कि लोक परिवहन का साधन है, यात्रा करते समय फरियादी लक्ष्मीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर राकेश पाटीदार के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.2), रजिया (अ.सा.3), राकेश पाटीदार (अ.सा.4) एवं गजेन्द्रसिंह (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारण प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है। ढेड़ वर्ष पूर्व वह बस में बैठकर ग्राम मण्डवाड़ा से बड़वानी जा रही थी। साथ में एक महिला जिसका नाम रजिया था। बस के अंदर अभियुक्तों ने मदिरापान के नशे में उसे गोलिया दी तथा अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ा था। उसने घटना के संबंध में थाना अंजड़ में प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट दी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उससे विवाद कर रहे थे तो उस विवाद में उन्होंने हाथ पकड़कर खींचा था। अभियुक्तों का आशय उसके साथ छेड़छाड़ करने का नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त भेंवरसिंह द्वारा उसका हाथ पड़ने से ऐसा नहीं लगा कि उसकी इज्जत पर हमला किया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट में यह नहीं लिखाया था कि अभियुक्तों ने उसके साथ महिला होने के कारण छेड़छानी की घटना की। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तों से राजीनामा कर लिया है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

8. राकेश पाटीदार असा 4 ने उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी ने केवल प्रदर्शपी 1 के आवेदन पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने बस में बैठी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था और लक्ष्मीबाई का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 6 का कथन देने से भी इंकार किया है।

9. रजिया असा 3 ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने केवल 3 वर्ष पूर्व 2 व्यक्तियों द्वारा बस में बैठी महिलाओं के साथ गाली-गलोच करने के संबंध में प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 5 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10. सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह असा 5 ने दिनांक 15.09.10 को लक्ष्मीबाई की प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 7 का अपराध दर्ज किया है। साक्षी ने प्रदर्शपी 7 के डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट और प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन में बुरी नियत से हाथ पकड़ लेने का उल्लेख नहीं है।

11. प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार अ.सा. 2 ने दिनांक 15.09.10 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 197/10 की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाने एवं फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 के लेखी आवेदन में फरियादी द्वारा कही भी बुरी नियत से उसके साथ घटना किये जाने के तथ्य का उल्लेख नहीं है और साक्षियों ने अपने कथनों में भी उक्त बातें नहीं बताई हैं।

12. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की फरियादिया स्वयं ने अभियुक्तों से राजीनामा कर लिया है तथा उसने एवं अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये हैं तो अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 354, 323 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण दादूसिंह उर्फ विरेन्द्रसिंह एवं भैवरसिंह के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 354, 323 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

